कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

...पत्रक – ता० प्रमोद उराँव बनाम से रामसहाय उराँव तक

...– बालूमाथ, जिला – लातेहार वाद सं०– 38 /2023

...का प्रकार– भूमि विवाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18-07-2023	आवेदक प्रमोद उराँव पिता बालुदेव उराँव ग्राम- जोकिवडीह थाना- लातेहार के द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन पत्र में मौजा- चकरी के खाता सं० 95 प्लॉट सं० 148, 150, 176, 177, 182, 229, 277, 278 कुल रकबा 3 एकड़ 05 डिसमील भूमि से संबंधित है। आवेदक का कहना है कि मेरी दादी सुकरी उराईन पति बुधना उराँव के नाम से केवाला द्वारा प्राप्त है। हाल सर्वे खतियान के आधार पर On line लगान रसीद निर्गत है। उक्त भूमि में नाजायज रामसहाय उराँव की पिता शिवसहाय उराँव ग्राम- चकरी द्वारा	

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	कब्जा कर लिया गया है। इसलिए कि अंत ओड़ से बाधा उत्पन्न किया गया है। न्याय हेतु आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। उभय पक्ष अपने-अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य कागजातों के साथ वाद की अगली तिथि को उपस्थित होंगे। अभिलेख दिनांक 25/7/23 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	
25-07-2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। पदाधिकारी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 14-08-2023 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
13-12-2023	**आदेश** राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमोद उरांव बनाम रामसहाय उरांव के मामले मे प्रथम पक्ष के पास वर्ष 1958 ई0 का केवाला है। रिविजनल सर्वे पक्ष में है। लगान रसीद पक्ष में है। इसके विपरीत द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया। मात्र कहा गया कि प्रथम पक्ष के पास जो कागजात है वह जाली है। केवाला और खतियान को जाली घोषित करना सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के कागजात के विरूद्ध कही भी मामला दायर नही किया गया है। अतः सक्षम कोर्ट से जब तक कि ठोस आदेश प्राप्त नही होता तब तक संबंधित भूमि प्रथम पक्ष की भूमि जाना जा सकता है। इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। लेखापित एवं संशोधित 13/12/23 अंचल अधिकारी, बालूमाथ। 13/12/23 अंचल अधिकारी, बालूमाथ।	

Digitally signed by TRIPTI VIJAYA KUJUR
Date: 2024.07.27 13:16:46 +05:30
Location: 192.168.193.91

Scanned with CamScanner